दिनांक 01.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 01/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–20

- **25–25 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 लाख 41 हजार रूपये नगद**
- **06 लग्जरी कार, 07 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट**

दिनांक 30.04.2024 को थाना सेक्टर–20 एवं सीआरटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डीएनडी टोल के पास से 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–संजय 2–मंयक 3–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 लाख 41 हजार रूपये नगद, 06 लग्जरी कार, 07 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना सेक्टर–20 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–20 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संजय निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली।

2–मंयक निवासी 14/8 ईस्ट पंजाबी बाग थाना पंजाबी बाग पश्चिमी दिल्ली।

3–अभियुक्ता।

बरामदगी

1–01 लाख 41 हजार रूपये नगद।

2–06 लग्जरी कार, 07 मोबाइल फोन, 01 टैबलेट।

जनपद मथुरा/थाना बरसाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 30.04.2024 की रात्रि थाना बरसाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चरण पहाड़ी पर बदमाश की घेराबन्दी क गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त चरन सिंह घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गोवर्धन जनपद मथुरा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बरसाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चरन सिंह निवासी हाजीपुर थाना सदर जनपद गुरूग्राम, हरियाणा।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटी गयी कार के पार्टस**
- **01 अवैध तमंचा 315 मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 01.05.2024 को थाना हाथरस गेट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जलेसर रोड गन्दे नाले के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूटी गयी कार के पार्टस, 01 अवैध तमंचा 315 मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाथरस गेट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी उमरैन थाना अहरवा कटरा जनपद औरैया।

बरामदगी

1–लूटी गयी कार के पार्टस।

2–01 अवैध तमंचा 315 मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना रकाबगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 57 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 01.05.2024 को थाना रकाबगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिजली घर चौराहा के पास से 06 अभियुक्तों 1– विशाल

2–अनुराग 3–शेखर 4–विशाल 5–आशीष 6–बादल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 57 लाख रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26/27.04.2024 को थाना रकाबगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रकाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विशाल निवासी नई बस्ती थाना बालूगंज कमिश्नरेट आगरा।

2–अनुराग निवासी नई बस्ती थाना बालूगंज कमिश्नरेट आगरा।

3–शेखर निवासी छिपीटोला औलिया रोड कमिश्नरेट आगरा।

4–विशाल निवासी छिपीटोला औलिया रोड कमिश्नरेट आगरा।

5–आशीष निवासी पुष्पांजलि बाग दयालबाग थाना न्यू आगरा कमिश्नरेट आगरा।

6–बादल निवासी छिपीटोला औलिया रोड कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 57 लाख रूपये नगद।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गुडम्बा

- **घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, आधार कार्ड आदि**
- **05 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 01.05.2024 को थाना गुडम्बा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बेहटा किसान पथ अंडर पास से 05 अभियुक्तों 1–युसुफ खान उर्फ

मोहम्मद आलम 2–कौशल कुमार 3–नुरूल 4–सैफ 5–हलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण, 05 मोबाइल फोन, आधार कार्ड आदि, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23/24.04.2024 को थाना गुडम्बा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–युसुफ खान उर्फ मोहम्मद आलम निवासी हालपता–अन्ना मार्केट केशवनगर थाना मड़ियांव लखनऊ मूलपता–बिहुरी थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी।

2–कौशल कुमार निवासी हालपता–प्रीतीनगर अन्ना मार्केट थाना मड़ियांव लखनऊ मूल पता–हाजीपुर थाना कुर्सी जनपद बाराबंकी।

3–नुरूल निवासी पैकरामऊ थाना गुडम्बा, लखनऊ।

4–सैफ निवासी सूहीपुर थाना घुघटेर जनपद बाराबंकी।

5–हलीम निवासी सूहीपुर थाना घुघटेर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लूटे गये सोने–चॉदी के आभूषण।

2–05 मोबाइल फोन, आधार कार्ड आदि।

3–घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना फतेहपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 40 हजार 500 रूपये नगद**
- **भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **01 ट्रैक्टर, 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 01.05.2024 को थाना फतेहपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कसियापुर रेलवे क्रासिंग के पास से 05 अभियुक्तों 1–अनिकेत उर्फ छोटू 2–सोनू 3–नितिन 4–मिथलेश उर्फ मुसउ 5–पिन्कू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 40 हजार 500 रूपये नगद, भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 01 ट्रैक्टर, 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद बाराबंकी के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग, अभियुक्त नितिन के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 24 अभियोग, अभियुक्त मिथलेश उर्फ मुसउ के विरूद्ध जनपद सीतापुर, गोण्डा के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त अनिकेत उर्फ छोटू के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अनिकेत उर्फ छोटू निवासी नरेन्द्रपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

2—सोनू निवासी ग्वारी थाना थानगांव जनपद सीतापुर।

3—नितिन निवासी संसारा थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी।

4—मिथलेश उर्फ मुसउ निवासी मधवापुर थाना रेवसा जनपद सीतापुर।

5—पिन्कू निवासी नरेन्द्रपुर थाना सदरपुर जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी के 40 हजार 500 रूपये नगद।

2—भारी मात्रा में चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—01 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

5—01 ट्रैक्टर, 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद सीतापुर/थाना बिसवां

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **03 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 01.05.2024 को थाना बिसवां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्दनपुर नहर पुलिया के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त ओमकार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 03 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिसवां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– ओमकार निवासी कुम्हारनपुरवा थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–14 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–03 जीवित, 02 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना गांधीपार्क

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **01 खोखा कारतूस**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 01.05.2024 को थाना गांधीपार्क व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधारपर थाना क्षेत्र से अभियुक्त जब्बार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 01 खोखा कारतूस, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना गांधीपार्क पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जब्बार निवासी हजरत निजामुद्दीन कालोनी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ।

बरामदगी

1–10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–01 खोखा कारतूस।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना किशनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रकाश 2–श्रीचन्द्र को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना मल्लावां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मल्लावां पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/323/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कमलेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 70 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———